



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर
(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारा-89 सी0पी0सी0, 1908 के सन्दर्भ में विरचित की गयी उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली-2021 जो कि नोटिफिकेशन उ0प्र0 अधिसूचना संख्या-10/2021/195/सात-न्याय-2-2021-31जी0/2008 लखनऊ दिनांकित-23.04.2021 को प्रकाशित हुयी, के अनुपालन में उ0प्र0 सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली-2021 तथा माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्रांक संख्या-2389/एसएलएसए-83/2025(संदीप/क्र), दिनांक-30.07.2025 के द्वारा ए0डी0आर0 सेन्टर के अन्तर्गत परामर्श एवं सुलह-समझौता केन्द्र में श्रेणी "सी" जिला के अन्तर्गत जनपद सुलतानपुर में 10 अतिरिक्त मध्यस्थों को नियुक्त करने हेतु उपरोक्त नियमावली की धारा-3 के अन्तर्गत मध्यस्थों की नियुक्ति की जानी है। जिसके अन्तर्गत मध्यस्थों की नियुक्ति/पैनल तैयार किये जाने हेतु दिनांक-04.08.2025 की साय: 05:00 बजे तक आवेदनपत्र आमंत्रित किये गये थे। जिसमें कुल 44 आवेदनपत्र प्राप्त हुये हैं। आवेदन पत्रों की योग्यतानुसार जाँच की गई। जिसमें 32 आवेदन पत्र वैध पाये गये एवं 12 आवेदन पत्र ऐसे हैं जिनमें अनुभव 10 वर्ष से कम होने के कारण उन्हें अवैध पाया गया। वैध पाये गये आवेदन पत्रों के आवेदकों का साक्षात्कार दिनांक-07.08.2025 को अपराहन 02:00 बजे जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर के विश्राम कक्ष में नियत की गयी है।

तदनुसार आवेदकगण सूचित हो तथा साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु आवेदन में लगाये गये प्रपत्रों की मूल प्रपत्र को साथ में लेकर आये तथा साक्षात्कार के नियत समय से 30 मिनट पूर्व सम्बन्धित को सूचित करें।

अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सुलतानपुर

पत्रांक 856 / जि0वि0से0प्रा0सुल0, तद दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- केन्द्रीय नाजिर नजारत अनुभाग को जिला न्यायालय के सूचना पट पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 2- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व जनपद न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 3- अध्यक्ष, जिला बार एशोसिएशन को बार एशोसिएशन के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
- 4- जिला सूचना अधिकारी सुलतानपुर को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञापन कराना सुनिश्चित करें तथा विज्ञापन की पेपर कटिंग कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Seen

06.08.25

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर के समक्ष अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित।